HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 04 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 01.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 08.03.2025 को अभियुक्त सागर जोशी पुत्र अशोक जोशी निवासी वार्ड नं0 04 असदुल्लापुर थाना मिलक जनपद रामपुर हालपता- कुण्ठ आश्रम बृजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड द्वारा नाबालिग 04 मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 143/25 धारा 65(2), 351(3) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.04.2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 01.07.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक नीरज कुमार एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।